न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 25 / 2022

प्रार्थीगण

1. पेमाराम पुत्र स्व. खेताराम
2. अर्जुनराम पुत्र स्व. खेताराम
3. रामरख पुत्र हरीकिशन
4. सीतादेवी पत्नी गोकलराम

   समस्त जाति विश्नोई निवासीगण ग्राम रामनगर

   पटवार हल्का कापरडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नरपत पुत्र स्व. भंवरलाल
2. प्रकाश पुत्र स्व. भंवरलाल
3. बेबी पुत्री स्व. भंवरलाल जोजे बलदेवराम पुत्र भंवरलाल
4. मोवनी पत्नी स्व. भंवरलाल

   सभी जातियान जाट, निवासी ग्राम कापरडा तहसील बिलाडा

5. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से श्री बी.आर.बिश्नोई एडवोकेट

" अप्रार्थी संख्या 1से 4 की ओर से श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट।

अप्रार्थी संख्या 5 सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :— 5/09/24

संक्षेप में सक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 से 4 एक ही गांव की सरहद में पास पडौस में कृषि व्यवसाय पर आधारित जीवन व्यतीत करते है जिनके खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम रामनगर की सरहद में स्थित हे। अप्रार्थी सं. 5 को भूमिधारी होने से तरदीदी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रामनगर पटवार हल्का कापरडा की सरहद में स्थित है जो

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

राजस्व रेकर्ड के मुताबिक खाता सं. 47 पर खसरा नम्बर 968 रकबा 3.6567 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम के रूप में दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण के अलावा उनके हिन्दु संयुक्त परिवार के तमाम सदस्य सहखातेदार के रूप में पीढीयों से कब्जे काश्त में है जो प्रार्थीगण के पुश्तैनी परिवार के सहखातेदार है। प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 968 के पडौस में पूर्वी माठ के पास अप्रार्थी सं. 1 से 4 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 967/3 स्थित है जिसके मूल खसरा नम्बर 967/3 है जो कि राजस्व रेकर्ड के खाता सं. 37 पर रकबा 2.0549 हैक्टयर क्षेत्रफल का खेत जिस पर अप्रार्थी सं. 1 से 4 मौक पर काबिज है अप्रार्थी सं. 1 से 4 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 967/3 के उतरी पूर्वी माठ के समानान्तर ग्राम रामनगर से कापरडा जाने वाला आम रास्ता जो चौडाई में करीब 24 फुट मौके पर कायम है जो कि ग्रेवल डालकर आवागमन हेतु सुगम बना दिया गया है जिससे प्रार्थीगण आने कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर, ट्रोली, हल व मवेशी वगैरा अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 968 में आने जाने हेतु सार्वजनिक आम मार्ग खसरा नम्बर 965 से चलकर अप्रार्थी सं. 1 से 4 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 967/3 की उतरी माठ पर आकर अप्रार्थी सं. 1 से 4 के खेत की पश्चिमी माठ उतर से दक्षिण होकर अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 968 में पहुचते है उक्त रास्ता पीढीयों से अप्रार्थी सं. 1 से 4 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 967/3 की पश्चिमी माठ से उतर से दक्षिण की ओर चलकर जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क अ. ब.स.द. के रूप में दर्शाया गया है। जो एकमात्र प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 968 में आने जाने हेतु रास्ता है जिसमें पीढीयों से प्रार्थीगण उक्त तथाकथित नजरी नक्शे में दर्शाये गये रास्ते मार्क अ.ब.स.द. से आते जाते रहे है। किन्तु हाल ही में चालू कृषि वर्ष में अप्रार्थी सं. 1 से 4 ने जानबूझकर प्रार्थीगण के पूर्व में कायम रास्ते की भूमि मार्क अ.ब.स.द. पर तार खेचकर अस्थाई तौर पर प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 968 में आने जाने के एकमात्र खेत का रास्ता मार्क अ.ब.स.द. को अवरूद्ध कर दिया है इसके अलावा प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 968 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 968 में कृषि कार्य करने में, खेत की जुताई, निराई व गुडाई व कृषि उत्पाद के परिवहन में भयंकर बाधा उत्पन्न हो चुकी है जिस पर हाल ही में प्रार्थीगण ने गांव के मौतबीर लोगों से मिलकर अप्रार्थी सं. 1 से 4 के साथ समझाईश कर मौके पर पुराने समय से चल रहे खेत के रास्ते मार्क अ.ब.स.द. को खुला रखने का निवेदन किया। जिस पर अप्रार्थी सं. 1 से 4 ने ग्रामीणों के रूबरू दिनांक 19.06.2022 को प्रार्थीगण को अस्थाई तौर पर बंद किये गये रास्ते को पुनः खोलने से एलानिया रूप से मना कर दिया। जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं0 1 से 4 के विरूद्ध न्यायालय श्री में विधिक प्रावधानों के तहत पेश करना पड रहा है। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के मुताबिक खसरा नम्बर 968 में आने जाने का रास्ता मार्क अ.ब.स.द. एकमात्र रास्ता है जिसकी प्रार्थीगण को अत्यधिक आवश्यकता है। जिसकी मौके की रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार बिलाडा अप्रार्थी सं. 5 के मार्फत मंगवाया जाना आवश्यक है एवं संबंधित पैमाईश

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रिपोर्ट एवं मौके की रिपोर्ट आने पर संबंधित भूमिधारी द्वारा तय की गयी राशि प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है।

अन्त में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर न्यायालय श्री से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रास्ते की भूमि मार्क अ.ब. स.द. की मौके की रिपोर्ट माप व सीमांकन के आधार पर अप्रार्थी सं. 5 के मार्फत मंगवाई जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मार्क अ.ब.स.द. को राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर प्रार्थीगण को उक्त रास्ता दिलाया जाकर अनुतोष प्रदान करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्राथीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सं. 4 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि पद सं. 1 प्रार्थना पत्र सही है। पद सं. 2 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम रामनगर तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 968 रकबा 3.6567 हेक्टयर जरूर आयी हुयी है। पद सं. 3 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है ग्राम रामनगर तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 968 रकबा 3.6567 हेक्टयर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 968 में पहुचने के लिए खसरा नम्बर 967/3 में से कोई रास्ता नहीं निकलता है। प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 968 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 967/3 में नया रास्ता कायम करना चाहते है जबकि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 968 में आने जाने के दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद है जो पहला वैकल्पिक रास्ता भूमि खसरा नम्बर 965 के उतरी पूर्वी दिशा के सहारे चलकर खसरा नम्बर 968 मे पहुचता है। जो रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. है तथा इसी प्रकार दूसरा वैकल्पिक रास्ता भूमि खसरा नम्बर 950 गै.मु.रास्ता के पूर्वी दक्षिणी दिशा के सहारे सहारे चलकर खसरा नम्बर 968 में पहुचता है जो रास्ता मार्क ई.एफ.जी.एच. है उपरोक्त दोनों वैकल्पिक रास्ता से प्रार्थीगण का आवागमन कई पीढीयों से चला आ रहा है। जिसका नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। पद सं. 4 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण सुविधाजनक रास्ते की आड में नया रास्ता कायम नहीं करवा सकते है प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में मार्क अ.ब.स.द. मार्ग जो प्रार्थीगण का अत्यधिक आवश्यकता का मार्ग नहीं है। पद सं. 5 व 6 प्रार्थना पत्र कानूनी है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अतिरिक्त कथन पेश किया जो इस प्रकार है प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 968 रकबा 3.6567 हैक्टयर में कृषि कार्य करने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 967/3 की पूर्वी दक्षिणी माठ के सहारे सहारे होकर आगे रास्ते के लिए खसरा नम्बर 968 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में नया रास्ता कायम करना चाहते है जबकि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 968 में जाने के लिए दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद है, जो रास्ता खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

965 गै.मु.रास्ता के दक्षिणी दिशा की और खसरा नम्बर 966 के उतरी पूर्वी दिशा के सहारे सहारे चलकर खसरा नम्बर 968 में पहुचता है जो रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी है तथा मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता सबसे निकटतक है तथा इसी प्रकार दूसरा वैकल्पिक रास्ता भूमि खसरा नम्बर 950 गै.मु.रास्ता के पूर्वी दक्षिणी दिशा की ओर खसरा नम्बर 966 के पश्चिमी दक्षिणी दिशा के सहारे सहारे चलकर खसरा नम्बर 968 में पहुचता है जो रास्ता मार्क ई.एफ. जी.एच. है तथा मार्क ई.एफ.जी.एच. रास्ता सबसे निकटतम है इसी खसरा नम्बर 966 के मार्क ए.बी.सी.डी. ई.एफ.जी.एच. के रास्ते से प्रार्थीगण अपने वाहन, ट्रेक्टर, मोटरसाईकिल आदि के साधन लाते है लेकिन भू अभिलेख निरीक्षक ने बीना कोई दस्तावेजों की जांच किये तथा बीना मौके पर जाकर नाप आदि को किये नया रास्ता कायम कर दिया गया है जो मौका फर्द रिपोर्ट इसी आधार पर निरस्त योग्य है। मौका कमीश्नर द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस या सूचना दिये बीना एक तरफा मौके रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी है विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के हितो को प्रभावित करने वाला कोई मौका रिपोर्ट नोटिस या सुनवायी का अवसर दिये बीना पारित नहीं की जा सकती, अतः मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 26.06.2023 विधि विरूद्ध एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम रामनगर तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 968 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी पूर्व में खेता वल्द प्रभु जाति विश्नोई निवासी कापरडा की थी इसी प्रकार ग्राम रामनगर तहसील बिलाडा की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 966 रकबा 24 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी पूर्व में निम्बा वल्द प्रभु जाति विश्नोई निवासी कापरडा की थी। खसरा नम्बर 968 के खातेदार खेताराम तथा खसरा नम्बर 966 के खातेदार निम्बाराम दोनो आपस मेंसगे भाई है। तथा जो प्रभुराम विश्नोई के जायन्दा पुत्र है खसरा नम्बर 968 व खसरा नम्बर 966 एक ही लाईन में भूमि आयी हुयी है तथा दोनों खसरा नम्बर 966 की पूर्वी दक्षिणी माठ व खसरा नम्बर 968 की उतरी पश्चिमी माठ लगती है, जो दोनो खेत खसरा नम्बर 966, 968 पडौसी खेत है प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 966, 968 के राजस्व रेकर्ड, खातोनी बन्दोबस्त व जमाबंदी से स्पष्ट साबित होती है जब खसरा नम्बर 966 प्रार्थीगण का निजी पुश्तैनी खेत उपलब्ध है तथा उस खेत खसरा नम्बर 966 के दक्षिणी दिशा की ओर खसरा नम्बर 968 का प्रार्थीगण का खेत आता है, भू अभिलेख निरीक्षक ने बीना कोई खतौनी बन्दोबस्त, जमाबंदी, नक्शा नाप आदि की कोई जॉच नहीं की गयी है केवल कयासी आधार पर मौका रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है जो इसी आधार पर निरस्त योग्य है यहॉ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भू अभिलेख निरीक्षक ने मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 968 में कृषि कार्य करने हेतु भूमि खसरा नम्बर 967/3 के कौनसी मार्क की भूमि मे से गुजरना नहीं बताया है जो मौका फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट साबित नही होती है प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 968 में कृषि कार्य करने हेतु भूमि खसरा नम्बर 967/3 के मार्क अ ब स द में से गुजरना बताया है जो खसरा नम्बर 967/3 के

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

मार्क अ ब स द की कुल 84 गठ्ठा भूमि बनती है इसके विपरीत खसरा नम्बर 950 गै.मु.रास्ता के दक्षिण दिशा की ओर स्थित खसरा नम्बर 966 की उतरी पूर्वी दिशा की माठ से होकर मार्क ए.बी.सी.डी रास्ता की दूरी मात्र 44 गठ्ठा भूमि का रकबा न्यूनतम होता है अतः प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 966 में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथ पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 966 में से रास्ता भी न्यूनतम 44 गठ्ठा उपलब्ध है तो भू अभिलेख निरीक्षक ने रास्ता स्थापित करने के भारी अनियमियता बरती गयी है जो मौका फर्द रिपोर्ट केवल इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है जब खसरा नम्बर 966 में प्रार्थीगण का पुश्तैनी खातेदारी में न्यूनतम रास्ता उपलब्ध है तो अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 967/3 में नया रास्ता की स्थापना नहीं की जा सकती है। अतः भू अभिलेख निरीक्षक को नया रास्ता की स्थापना करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण मौका रिपोर्ट बीना दस्तावेजों की जॉच एवं नाप के आधार पर तैयार की गयी है। जो केवल इसी आधार पर निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 1 से 3 नाबालिग है जो जमाबंदी से साबित है अप्रार्थी सं. 1 से 3 नाबालिग है उनको बीना नाबालिग का संरक्षक नियुक्त किये बीना प्रार्थना पत्र की सुनवाई नहीं की जा सकती है। क्योंकि नाबालिग के बीना संरक्षक किये पारित आदेश शून्य होता है। अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र सव्यय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा अतिरिक्त कथन का जवाब पेश किया जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त कथन के पद सं. 1 भ्रामक तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है क्योकि अप्रार्थी सं.5 द्वारा न्यायालय श्री द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2022 की अनुपालना में मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के दिनांक 26.06.2023 को तैयार मौके पर की जाकर मय नाप पत्रावली पर प्रस्तुत हो चुकी है। जिसमें कोई वैकल्पिक रास्ते का जिक्र नहीं है। जिससे उक्त कथन आधारहीन होने से काबिले खारिज है। अतिरिक्त कथन के पद सं 2 गलत एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित होने से काबिले खारिज है क्योंकि मोका रिपोर्ट भूमिधारी की देखरेख में मौके पर नाप-चौप कर बनायी गयी है जिसकी सम्यक सूचना अप्रार्थी सं. 1 से 4 को भली प्रकार से रही है। जिससे अप्रार्थीगण का उक्त कथन भी विधि विपरीत होने से काबिले खारिज है। अतिरिक्त कथन के पद सं. 3 भी गलत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है क्योंकि मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा व नाप भी दर्ज है। जिससे भी उक्त कथन काबिले खारिज है। अतिरिक्त कथन के पद सं. 4 व 5 गलत व भ्रामक तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है क्योकि अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब मय अतिरिक्त कथन पोषणीय नहीं होने से काबिले खारीज है। अन्त में निवेदन है कि अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त कथन आधार हीन होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अप्रार्थी सं. 5 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी क खेत में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते में निर्माण नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते में प्रभावित भूमि एवं उसकी डी.एल.सी दर का विस्तृत विवरण भू अभिलेख निरीक्षक कापरडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शाया हुआ है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की लम्बाई 300 फीट है जिसकी चौडाई 2 गट्टा चौडाई अनुसार 3960 वर्ग फीट अर्थात 0.0368 हैक्टयर बनता है जिसकी डीएलसी दर 48560 हैक्टयर है इस अनुसार 11040 रूपये बनते है तथा इस अनुसार दुगुनी राशि 22080 रूपये बनते है। उपरोक्त में भू अभिलेख निरीक्षक कापरडा के दर्शाये अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के खेत खसरा नम्बर 967/3 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में प्रस्तावित रास्ता दर्शाया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीशनर रिपोर्ट दिनांक 26.06.2023 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को अदा करने को तैयार है। सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम रामनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 968 रकबा 3.6567 हैक्टेयर में प्रार्थीगण को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 967/3 रकबा 2.0549 हैक्टेयर के मार्क भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 968 में पहुचता है मौका कमीशनर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होती है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नम्बर 968 में काश्त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर काश्त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थीगण को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक कापरडा के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 26.06.2023 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 परन्तु अप्रार्थी सं. 1 से 3 राजस्व जमाबंदी संवत् 2075–2078 में नाबालिग दर्ज होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 से 3 के हिस्से की राशि का भुगतान उनकी माता/संरक्षक अर्थात सम्पूर्ण राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 4 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थीगण संख्या 4 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की दशा में प्रार्थीगण तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 26.06.2023 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 04/09/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा